तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2019** **जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर बनाम जवरीया पुत्र लालू, जाति हरिजन निवासी ग्राम दांतीवाड़ा, तहसील व जिला जोधपुर के कायम मुकाम वगैरा।**	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.2020	पत्रावली आज पेश हुई। इस प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 09 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते राजस्व अपील विविध प्रार्थना–पत्र एबेट होने से निरस्त किये जाने बाबत् के निर्णय हेतु रखी गई है। अप्रार्थी संख्या 2 के उत्तराधिकारी दिनेश कुमार ने अपने प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आवंटन नियम आदेश तहसीलदार, जोधपुर के आदेश संख्या 3087 दिनांक 13.10.1970 की पालना में की गई आगे की समस्त कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मनगढंत, असत्य, बेबुनियाद, झूठे तथ्यों पर आधारित एवं 49 वर्ष बाद प्रस्तुत करने के आधार पर आधारित है, जिसमें प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल सकती है। अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 02 घेवरराम पुत्र छीनाराम उर्फ छोगाराम का देहान्त दिनांक 22.12.2018 को हो गया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 02 के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र में लिखित में सूचना दिनांक 13.03.2019 को दे दी गयी थी। उसके बाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.08.2019 को आदेश दिया गया की प्रार्थी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम की कार्यवाही करें। जिसकी जानकारी प्रार्थी व प्रार्थी के अभिभाषक को भलीभाँति है उसके बावजूद भी उक्त राजस्व वाद में अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम की कार्यवाही आज दिन तक तक नहीं की गई है। जिस कारण से प्रस्तुत राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र मृतक पक्षकारों के विरूद्ध होने से एबेट हो हो गया, जिससे उक्त राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 09 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 02 घेवरराम पुत्र छीनाराम उर्फ छोगाराम का देहान्त दिनांक 22.12.2018 को हो गया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 02 के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र में लिखित में सूचना दिनांक 13.03.2019 को दे दी गयी थी। उसके बाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.08.2019 को आदेश दिया गया को प्रार्थी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम की कार्यवाही करें लेकिन प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रस्तुत राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र मृतक पक्षकारों के विरूद्ध होने से एबेट हो हो गया। जिससे उक्त राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः न्यायहित में अप्रार्थी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2021.11.22 17:15:21 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 09 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 वास्ते राजस्व अपील विविध प्रार्थना–पत्र एबेट होने से निरस्त किये जाने का स्वीकार कर राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:21 IST
Reason: SelfAttested